अनुसूची 14 –फारम सं०–562

न्यायालय, भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, बुण्डू (राँची)

(देखें अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक तारीख...तक

जिला–..........राँची...., दाखिल खारिज अपील वाद संख्या–..........08.......सन्–....2018–19..................।

वाद का प्रकार–बिहार भूमि दाखिल खारिज अधिनियम 2011 की धारा–7 के तहत दाखिल खारिज अपील वाद।

अर्जीकार–घासीराम महतो वगैरह बनाम प्रतिपक्षी–अंचल अधिकारी, तमाड़।

आदेश

07.09.2020

प्रस्तुत वाद में अपीलार्थी–घासीराम महतो वो रामश्रृंगार महतो, पिता–स्व० दुखू महतो, ग्राम–ईचाडीह, टोला जोजोडीह, डाकघर–उलीडीह, थाना–तमाड़, जिला–राँची ने अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से आवेदन देकर अंचलाधिकारी, तमाड़ के द्वारा नामांतरण मुकदमा सं०–07 R27/2017-2018/तमाड़ में दिनांक–10/08/2017 को पारित आदेश के विरूद्ध यह अपील दायर किया है। जिसके द्वारा निम्न भूमि का नामांतरण अस्वीकृत किया गया।

भूमि विवरणी

मौजा	थाना	थाना सं०	खाता सं०	खेसरा सं०	रकवा
ईचाडीह	तमाड़	0197	02	91	44 डिसमील
				92	50 डिसमील
				94	60 डिसमील
				135	43 डिसमील
				1142	63 डिसमील
				136	25 डिसमील
				205	04 डिसमील
				254	14 डिसमील
				214	09 डिसमील

सुनवाई हेतु अपील वाद को ग्रहण किया गया। उभय पक्ष को नोटिस निर्गत कर अंचल अधिकारी, तमाड़ से मूल अभिलेख की माँग करते हुए वाद की कार्यवाही प्रारंभ की गयी। अपीलार्थी की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता अपने आवेदन में निम्न उल्लेख किए हैं:–

01. यह कि जिला–राँची अन्तर्गत थाना–तमाड़, थाना सं०–197, मौजा–ईचाडीह, खाता नं०–2 के अन्य प्लॉटों के साथ प्लॉट नं०–135 रकवा–43 डिसमील एवं प्लॉट नं०–205 रकवा–04 डिसमील भूमि जो कि पार्टीशन सूट सं०–60/72 के आलोक में अपीलार्थी को आवंटित भूमि जिसमें मो० सुबो देवी पति–स्व० दुखू महतो, घासीराम महतो वो राम श्रृंगार महतो दोनों के पिता–स्व० दुखू महतो कई प्रतिवदियों के विरूद्ध वादी थे, जो कि पार्टीशन सूट में पारित अंतिम डिक्री आदेश के गवाह हैं।

02. यह कि उक्त वाद के तीन वादी में से वादी सं०–01 अपने पीछे दो पुत्र जो कि इस अपील वाद में अपीलार्थीगण है, को छोड़कार स्वर्गवास हो गई।

आदेश

03. यह कि प्रतिवादी शिवराम महतो एवं अन्य द्वारा अपर न्यायायुक्त II, खूँटी के न्यायालय में टाईटल अपील वाद सं०–57/89 दायर किया गया जिसे अस्वीकृत कर दिया गया। प्रतिवादी/अपीलार्थी ने इसके ऊपर माननीय उच्च न्यायालय में द्वितीय अपील वाद सं०–SA14/1997 दायर किया जिसे भी अस्वीकृत किया गया।

04. यह कि अंतिम डिक्री के अनुसरण में Execution वाद सं०–01/96 के आलोक में डिक्री धारक/वादी/अपीलार्थी के पक्ष में प्रश्नगत भूमि पर दखल–कब्जा दिलाया गया।

सुनवाई के दौरान अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता को सुना। उनका कहना है कि न्यायालय, सब जज–I खूँटी के पार्टीशन सूट सं०–60 of 1972/41 of 1987 में पारित आदेश के आधार पर दाखिल खारिज करने का आदेश निर्गत किया जाए।

अंचल अधिकारी, तमाड़ के पत्रांक–307(ii) दिनांक–13/06/18 के द्वारा नामांतरण मुकदमा सं०–07 R27/2017-2018/तमाड़ का मूल अभिलेख प्राप्त हुआ। जिसमें राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के प्रेतिवेदनानुसार न्यायालय, सब जज–I खूँटी के पार्टीशन सूट सं०–60 of 1972/41 of 1987 में पारित आदेश में न्यायालय द्वारा आवेदक को 1/3 वा हिस्सा दिया गया है। साथ ही प्लॉट–135 खतियानी रकवा–0.43 डी० एवं प्लॉट 205 खतियानी रकवा 0.4 डी० पूरा हिस्सा में दर्शाया गया है। लेकिन प्लॉट 135 रकवा–0.21 डी० का पंजी ।। रैयत शीतल देवी पति निरंजन महतो के नाम पर पृष्ठ–90 भोलुम ।। में दर्ज है एवं प्लॉट 205 रकवा–1.5 डी० का पंजी ।। रैयत बलदेव महतो पिता रामसिंह महतो के नाम पर दाखिल–खारिज 56/72–73 द्वारा पृष्ठ 109 भोलुम ।। में दर्ज है। ऐसी स्थिति में उक्त दोनों दाखिल खारिज को विलोपित किए बिना प्लॉट 135 एवं 205 के सम्पूर्ण रकवा का दाखिल खारिज करने पर दोहरा जमाबंदी का मामला बनेगा। अतः उक्त दोनों दाखिल खारिज के सक्षम न्यायालय से विलोपित होने के पश्चात आवेदक को दिए सम्पूर्ण रकवा का दाखिल खारिज करना उचित होगा। अतः इस आधार पर अंचलाधिकारी, तमाड़ के द्वारा नामांतरण अस्वीकृत किया गया है।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता को सुनने, अंचल अधिकारी, तमाड़ द्वारा प्राप्त मूल अभिलेख तथा अपीलार्थी द्वारा समर्पित दस्तावेजों के अवलोकनोपरांत इस अपील वाद को स्वीकृत किया जाता है एवं अंचलाधिकारी, तमाड़ के द्वारा पारित आदेश को निरस्त करते हुए उन्हें आदेश दिया जाता है कि पार्टीशन सूट सं०–60 of 1972/41 of 1987 में पारित अंतिम डिक्री आदेश के आलोक में प्लॉट 135 रकवा–0.21 डी० भूमि का पंजी ।। रैयत शीतल देवी पति निरंजन महतो के नाम पर पृष्ठ–90 भोलुम ।। में एवं प्लॉट 205 रकवा–1.5 डी० का पंजी ।। रैयत बलदेव महतो पिता रामसिंह महतो के नाम पर दाखिल–खारिज 56/72–73 द्वारा पृष्ठ 109 भोलुम ।। में दर्ज जमाबंदी को विलोपित करने का प्रस्ताव इस न्यायालय को प्रेषित करें तथा नये सिरे से इस वाद में विधि सम्मत आदेश पारित करें।

	आदेश	
	इस आदेश की प्रतिलिपि को निम्न न्यायालय के मूल अभिलेख के साथ संलग्न कर अंचल अधिकारी, तमाड़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित करें। लेखापित एवं संशोधित। 8.07.09 भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, बुण्डू (राँची)। 8.07.09 भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, बुण्डू (राँची)।	